

राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें राज0 जयपुर

क्रमांक :- ई-18/एम/एसीपी-1/2017/

दिनांक :

आदेश

राज्य सरकार के आदेश क्रमांक एफ.11 (7)वित्त/नियम/2008 दिनांक 12.09.2008 एवं संशोधित आदेश क्रमांक एफ.14 (88)वित्त (नियम)/2008-1 दिनांक 31.12.2009 एवं दिनांक 05.07.2013 में उल्लेखित प्रावधानों के अनुसार निम्नलिखित कर्मचारियों को निम्न प्रकार सेवा अवधि पूर्ण किये जाने पर एसीपी स्वीकृत की जाती है।

क्र. स.	नाम कर्मचारी मय पदस्थापन स्थान	प्र0नि0 तिथि	पूर्ण सेवावधि	एसीपी स्वीकृति तिथि	स्वीकृत एसीपी	
					पे बैंड	ग्रेड पे
1.	श्री नन्दूसिंह परमार, लिपिक ग्रेड-प्रथम, झुन्झुनू	24.09.1991	18 वर्ष	23.09.2009	9300-34800	3200
2.	श्रीमति बबीता अग्रवाल, लिपिक ग्रेड-द्वितीय, भरतपुर	17.05.2008	09 वर्ष	17.05.2017	5200-20200	2800
3.	श्री ओमप्रकाश पालीवाल, सहा. कार्यालय अधीक्षक, पाली	09.04.1999	18 वर्ष	09.04.2017	9300-34800	3600

उपरोक्त कर्मचारियों का वेतन निर्धारण एसीपी स्वीकृति के फलस्वरूप संबन्धित कार्यालयाध्यक्ष द्वारा नियमानुसार किया जावेगा।

(राकेश शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें

राज0 जयपुर

दिनांक : 31/09/19

क्रमांक :- ई-18/एम/एसीपी-1/2017/1801

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन-भरतपुर।
2. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, झुन्झुनू/भरतपुर/पाली।
3. प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, सोजत सिटी, पाली।
4. खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, सूरजगढ, झुन्झुनू
5. प्रभारी सर्वर रूम मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने का श्रम करें।
6. आदेश/निजी पत्रावली।

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें

राज0 जयपुर